निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 68/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

रामरस पुत्र श्री जगदीश नारायण जाति जाट निवासी ग्राम कौथून, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री ओम प्रकाश सहारण आर ए एस उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।
2. रतिराम पुत्र श्री जगदीश नारायण जाति जाट निवासी ग्राम कौथून, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर ।

**अप्रार्थीगण**

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 273/2018 ब उनवानी रतिराम बनाम रामरस को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री एन॰ एल॰ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामरतन मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 1-10-2019

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अपार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर तकास्मा करवाना चाहा है। वाद पत्र में मद संख्या 3 में वर्णित फर्जी एवं कूटरचित बटवारानामा के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जबकि ऐसा कोई बंटवारानामा निष्पादित नहीं हुआ है तथा उक्त फर्जी बटवारानामा के आधार पर एन एच 12 मुख्य रोड की भूमि का बंटवारा खुद के हक में करवाना चाह रहा है जो कि कानूनी स्थिति के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नहीं दिया जा सकता, परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को लगातार धमकियां दी जा रही है कि उक्त प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 अपने हक में करवायेंगे तथा अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार द्वारा उनके माफिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 से राजनैतिक दबाव में हमारे हक में निर्णय करवा कर शीघ्र ही राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवायेंगे तथा उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में पास की तारीख पेशियां दी जा रही है जिस पर अप्राथी संख्या 2 द्वारा जाहिर किया गया कि उक्त प्रकरण में केवल मात्र औपचारिकता है । प्रकरण में फैसला हमारे पक्ष में होगा । जिससे प्राथी को विश्वास हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी चाकसू से अप्रार्थी संख्या 2 के हक में राजनैतिक दबाव में आकर विधि विरूद्व रूप से कानूनी स्थिति के परे जाकर उक्त प्रकरण में उनके हक में निर्णय करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि वे उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्व आदेश पारित करेंगे। जिस कारण उक्त प्रकरण का निस्तारण किसी

जिला कलक्टर
जयपुर

अन्य न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 2 के कथनों एवं राजनैतिक दबाव के संबंध में की गई धमकी से प्रार्थी को कतई विश्वास नही है कि अप्रार्थी संख्या 1 मामले का न्यायिक रूप सें बिना किसी पक्षपात के निर्णय पारित करेंगे। ऐसी स्थित में प्रकरण को अन्य उपखण्ड अधिकारी के पीठासीन अधिकारी को विचारण व निस्तारण हेतु स्थानान्तरित नहीं किया तो प्रार्थी अपने हक व हकूकों से महरूम हो जावेगा। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकील श्री रामरतन मीणा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. उभय पक्ष अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड चाकसू के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
5. उपखण्ड अधिकारी चाकसू को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 1-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(जगरूप सिंह यादपव )
जिला कलक्टर
जयपुर